

विश्वविद्यालयों की आय पर लगेगा जीएसटी!

डेली न्यूज

अजमेर > 22 नवंबर

प्रदेश के विश्वविद्यालय भी जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। विश्वविद्यालयों को परीक्षा, संबद्धता और अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। इसको लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में अजमेर सहित उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सीकर और अन्य स्थानों पर

उच्च स्तर पर प्रस्ताव तैयार

विश्वविद्यालयों की परीक्षा शुल्क, संबद्धता शुल्क और अन्य आय पर सरकार की पैनी नजर है। अधिकृत सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग इनकी आय पर जीएसटी लगाने की तैयारी में है। इसके लिए उच्च स्तर पर प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। जीएसटी लागू होते ही विश्वविद्यालयों को नियमानुसार कर चुकाने होंगे। यद्यपि पूर्व में भी विश्वविद्यालयों को सामान की खरीदारी और अन्य कार्यों पर वैट एवं दूसरे कर देने पड़ते थे।

सरकारी और निजी विश्वविद्यालय वेतन-भत्तों के लिए अनुदान भी हैं। इनमें से कुछ सरकारी मिलता है। लेकिन सरकार अनुदान विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से राशि में लगातार कटौती कर रही है।

विश्वविद्यालयों को परीक्षा फार्म, कॉलेज से मिलने वाला संबद्धता शुल्क, पेनल्टी, प्री-बीएड, बीएसटीसी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से आय होती है। इनसे वे परीक्षा संचालन, विद्यार्थियों से जुड़ी गतिविधियां कराते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को यूजीसी और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भवन निर्माण और प्रोजेक्ट्स में बजट मिलता है। यह राशि सीधे तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन होती है।